सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार औसियां जिला जोधपुर

क्रमांक / राजस्व / 2020 / 398-399

दिनांकः– 24/8/2020

प्रार्थी

सरकार जरिये भू.अ.नि.....सामराउ...

पटवारी भीमसागर

अप्रार्थी /अप्रार्थीगण

श्री बाबूराम पिता बगडूराम जाति बिशनोई

निवासी हरलाया तहसील ओसियां

मुकदमा नंबर 04 / 02.03.2020

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम –1956 की धारा 91

:– **निर्णयः–**

पटवारी हल्का भीमसागर ने इस आशय से रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है किया है कि अप्रार्थी / अप्रार्थीगण नें राजस्व गांव हरलायां के खसरा नं.299 रकबा 400 वर्ग फीट किस्म गै. मु. नाडी. राजकीय भूमि पर कब्जा बनाकर / निर्माण करके बिना वैध अधिकार स्वेच्छा से तथा बिना सक्षम अनुमति के अवैध अतिक्रमण किया है। इस पर उक्त प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा के अन्तर्गत दर्ज रजिस्ट्रर करके धारा 91 (3) के अन्तर्गत अप्रार्थी / अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस की विधिवत तामील के पश्चात अप्रार्थी उपस्थित हुआ, अप्रार्थी द्वारा तत्कालीन ग्राम पंचायत नोसर द्वारा सन 1986 मे जारी किया गया आबादी पट्टा पेश कर उक्त निर्माण आबादी भूमि में होने का जवाब प्रस्तुत किया। इस संबंध में हल्का पटवारी द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गयी।पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर उक्त अतिक्रमण किस्म गै.मु. नाडी होना बताया। अप्रार्थी को सुना गया । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा में गै.मु नाडी प्रतिबंधित क्षेत्र में आती है जिस पर किसी प्रकार का निर्माण वैध नही माना जा सकता । साथ ही किस्म गै.मु.नाडी में किसी प्रकार का पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को नही होने से उक्त पट्टा वैध नही माना जा सकता। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 कि धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा अतिचार करने के फलस्वरूप भू–राजस्व / लगान....0.01....प्रति वर्ष का ...500.........गुणा कुल रूपये.......5...............अक्षरे रूपये ....पांच रुपये..........मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है पटवारी / भू0अ0नि0 अतिक्रमी को अतिक्रमण स्थान से बेदखल करते हुए मौके पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर बेदखली फर्द तथा जुर्माना वसूल करके पालना पेश करें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का भीमसागर को आदेशित किया जाता है कि मांग दर्ज कर वसूल करें। बाद पालना के पत्रावली दाखिल दफतर हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 24/8/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार औसियां